**Original Article**
**ISSN(Online): 3139-4434**
https://ijeagr.com/

**International Journal of Educational Analysis and Global Research**
International Open Access, Peer-Reviewed, Refereed Journal
Volume 01, Issue 02, May 2026

# भारत में पर्यावरणीय न्याय: चुनौतियाँ, राजनीति और जन आंदोलन

**कोमल शर्मा**
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा
Email: komalsharma15nov@gmail.com

**Received** 05 May 2026
**Accepted** 15 May 2026
**Published** 20 May 2026

**Corresponding Author:**
**Dr. Praveen Rastogi**
Email: komalsharma15nov@gmail.com

**Doi:** https://doi.org/10.64880/ijeagr.v1i2.02

**Funding:** This research received no specifics grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sector.

**Copyright:** © 2026 The Author(s). This is an open access article under the Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License.

OPEN ACCESS

## सारांश:

*भारत में पर्यावरणीय न्याय एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जहाँ पर्यावरणीय क्षति का बोझ असमान रूप से वितरित होता है। यह अध्ययन भारत में पर्यावरणीय न्याय की प्रमुख चुनौतियों—जैसे हाशिए के समुदायों पर असमान बोझ, नीतिगत कमज़ोरियाँ, विकास-पर्यावरण संघर्ष, और राजनीति की भूमिका—का विश्लेषण करता है। विशेष ध्यान महिलाओं पर पड़ने वाले असमान प्रभाव पर है, जो दैनिक जीवन में जल, ईंधन, और खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याओं से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। शोध में सीमा अरोरा-जोंसन (Just Transitions), मुनीर अहमद मैंगरी (Feminist Political Ecology), मुकुल शर्मा (Dalit Ecologies) और गीतांजलि अंगमो (लद्दाख के पर्यावरणीय संघर्ष) जैसे विद्वानों के दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। पर्यावरणीय न्याय की प्राप्ति के लिए अंतर्विभागीय, लिंग-संवेदनशील और राजनीतिक रूप से जवाबदेह नीतियों की आवश्यकता है।*

***मुख्य शब्द:*** *पर्यावरणीय न्याय, औद्योगीकरण, शहरीकरण, पर्यावरणीय क्षति, पर्यावरणीय विश्लेषण।*

## 1. परिचय: पर्यावरणीय न्याय क्या है?

पर्यावरणीय न्याय का सिद्धांत कहता है कि सभी समुदायों को, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जाति या स्थान कुछ भी हो, एक स्वस्थ, सुरक्षित और टिकाऊ वातावरण का अधिकार है। भारत में, जहाँ तीव्र औद्योगीकरण और शहरीकरण ने पर्यावरणीय क्षति को बढ़ाया है, यह मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है—खासकर जब यह देखा जाए कि इसका खामियाजा सबसे कमजोर वर्गों को भुगतना पड़ता है। मुकुल शर्मा अपनी पुस्तक Dalit Ecologies: Caste and Environmental Justice (2024) में तर्क देते हैं: "जाति के बिना भारत में कोई सार्थक पर्यावरणीय विश्लेषण नहीं हो सकता; दलित आवाज़ों के बिना पर्यावरणीय न्याय न केवल अपूर्ण है, बल्कि अक्सर सहयोगी भी है।"

## 2. राजनीति की भूमिका: असमान अनुग्रह और पर्यावरणीय न्याय पर प्रभाव

### 2.1 राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और चयनात्मक उदासीनता

भारत की राजनीति में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर एक गहरा विरोधाभास है। एक ओर, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत जलवायु परिवर्तन पर मुखर आवाज़ उठाता है, लेकिन घरेलू स्तर पर वायु प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर मौन रहता है।

**पत्रलेखा चटर्जी (पत्रकार एवं विकास मामलों की विशेषज्ञ) लिखती हैं:**

"भारत अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में एक मुखर खिलाड़ी के रूप में उभरा है... लेकिन घर पर, हवा एक अलग कहानी कहती है। भारत का घरेलू वायु प्रदूषण संकट दुनिया में सबसे खराब में से एक है।" वे आगे कहती हैं कि "स्वच्छ हवा एक विशेषाधिकार बन गई है" —अमीर एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं, जबकि निर्माण श्रमिक, सड़क विक्रेता, और कृषि मज़दूर विषैली हवा में साँस लेने को मजबूर हैं। वह इसे "हवा तक पहुँच की छिपी जाति व्यवस्था" कहती हैं।

**सुनील दहिया (वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ) के अनुसार:**

"वायु प्रदूषण अभी भी एक चुनावी मुद्दा नहीं है। सख्त प्रवर्तन विकास को धीमा करने और शक्तिशाली लॉबीज को नाराज करने का जोखिम रखता है... कोई एक अभिनेता को दोष नहीं दे सकता, इसलिए राष्ट्रीय नेता संकट के मालिक होने से बचना पसंद करते हैं।"

### 2.2 विकास बनाम पर्यावरण: राजनीतिक प्राथमिकताएँ

राजनीतिक दलों के लिए पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन अक्सर "विकास में बाधा" के रूप में देखा जाता है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व-स्वीकृति (post-facto) पर्यावरणीय मंज़ूरी की बहाली है: मई 2025: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व-स्वीकृति के बिना बनी परियोजनाओं को पूर्वव्यापी मंज़ूरी देने की प्रथा को "अपने आप में अराजक" करार देते हुए प्रतिबंधित कर दिया। 18 नवंबर 2025: कोर्ट ने 2:1 बहुमत से अपने ही पिछले फैसले को पलट दिया और पूर्व-स्वीकृति मंज़ूरी को फिर से अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश गवई ने तर्क दिया कि यदि प्रतिबंध लागू रहा तो "हजारों करोड़ रुपये बर्बाद" हो जाएंगे। उन्होंने उदाहरण दिए—ओडिशा में 962-बेड वाला AIIMS, कर्नाटक में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, और अपशिष्ट उपचार संयंत्र—जिन्हें ढहाना पड़ता।

**असहमत न्यायाधीश उज्जल भुयान ने इसे "प्रतिगमन की ओर एक कदम" कहा और चेतावनी दी:**

"दिल्ली की घातक धुंध हमें हर दिन पर्यावरण प्रदूषण के खतरों की याद दिलाती है। सर्वोच्च न्यायालय... पर्यावरण की रक्षा के लिए संवैधानिक दायित्व रखता है। यह स्थापित पर्यावरणीय न्यायशास्त्र से पीछे नहीं हट सकता।"

### 2.3 अरावली पर्वतमाला: पारिस्थितिकीय सुरक्षा का क्षरण

सेवानिवृत्त नौकरशाहों के एक समूह (Constitutional Conduct Group) ने चिंता व्यक्त की कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने अरावली पर्वतमाला के 90% से अधिक हिस्से को खनन और निर्माण के लिए खोल दिया है, जिससे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के **लिए धूल अवरोधक के रूप में इसकी भूमिका कमज़ोर हो गई है।**

**फ़ैज़ान मुस्तफ़ा (विधि विद्वान, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय) और आशंक द्विवेदी के अनुसार:**

"हाल के घटनाक्रम पारिस्थितिकीय सुरक्षा के धीमे, लेकिन व्यवस्थित, कमज़ोर होने का संकेत देते हैं... 100-मीटर ऊँचाई की परिभाषा को अदालत द्वारा स्वीकार करना 2010 की स्थिति से स्पष्ट विचलन है, जिसने बड़े पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुरक्षा से वंचित कर दिया है।" उन्होंने यह भी बताया: "पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त करने वाले निगम और बड़े पैमाने की बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ नियामक बाधाओं को आसानी से पार कर सकते हैं...

यह आर्थिक रूप से मजबूत खिलाड़ियों को असमान रूप से अधिक विशेषाधिकार देता है, जिससे पर्यावरणीय शासन जनता के विश्वास और संवैधानिक समानता को नष्ट कर सकता है।"

### 3. पर्यावरणीय अन्याय के उदाहरण: आसानी से पास हुई परियोजनाएँ

#### 3.1 पीएफएएस (Forever Chemicals) कारखाना: इटली से भारत का स्थानांतरण

इटली की मिटेनी (Miteni) फैक्ट्री, जो यूरोप के सबसे बड़े भूजल प्रदूषण से जुड़ी थी और 350,000 से अधिक लोगों को प्रभावित करती थी, को बंद कर दिया गया था। यह कारखाना: भारतीय कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ द्वारा खरीदा गया उपकरणों को तोड़कर मुंबई के दक्षिण में लोटे पारशुराम में फिर से स्थापित किया गया उद्देश्य वही रहा: पीएफएएस (कैंसर-लिंक्ड रसायन) का उत्पादन विडंबना यह है कि 2025 में इटली में मिटेनी के पूर्व अधिकारियों को पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए दोषी ठहराया गया था। लेकिन भारत में पीएफएएस के लिए कोई विशिष्ट नियमन नहीं है। पर्यावरण मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने संसद में पुष्टि की कि भारत में पीएफएएस विनिर्माण पर कोई विशेष नियमन नहीं है। वरुण सुखराज (लेखक और कार्यकर्ता) ने कहा: "वर्षों से हमें बताया गया कि यह विकास की कीमत है। लेकिन किसी समुदाय को नौकरियों और स्वास्थ्य के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जो यूरोप में अस्वीकार कर दिया गया, उसे केवल कहीं और स्थानांतरित करके प्रगति के रूप में पुनः पैक नहीं किया जा सकता।"

#### 3.2 अन्य आसानी से पास हुई परियोजनाएँ

मई 2025 के फैसले से पहले, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 100 से अधिक परियोजनाओं को पूर्व-स्वीकृति मंज़ूरी दी थी, जिनमें कोयला और लौह खदानें, कारखाने और अन्य बड़ी परियोजनाएँ शामिल थीं।

#### 3.3 बिना नियमन वाली सौर परियोजनाएँ

डॉ. गीतांजलि अंगमो (सामाजिक उद्यमिता विशेषज्ञ, सोनाम वांगचुक की पत्नी) ने बताया कि लद्दाख में 48,000 एकड़ चरागाह भूमि पर 13 गीगावॉट का सौर-पवन ऊर्जा मेगाप्रोजेक्ट बिना स्थानीय परामर्श और पारिस्थितिकीय प्रभाव आकलन के शुरू किया गया। इससे चरागाह, वन्यजीव गलियारे, स्थानीय जलवायु और सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हो रही है।

### 4. लद्दाख में बड़े पैमाने पर सड़कों, सुरंगों और परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव

#### 4.1 बिना जोखिम आकलन के निर्माण

2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को तेज़ी से मंज़ूरी दी गई। इन परियोजनाओं को बिना उचित पर्यावरणीय जोखिम आकलन और सुरक्षा उपायों के आगे बढ़ाया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने संज्ञान लिया कि: "अनियोजित शहरीकरण, असंवेदनशील बुनियादी ढाँचा विस्तार और जलवायु परिवर्तन के कारण लद्दाख की पारिस्थितिकी ख़तरनाक दर से गिर रही है।"

#### 4.2 प्रमुख परियोजनाएँ

इन बड़ी परियोजनाओं में शामिल हैं: क्र.सं. परियोजना विवरण

1 ज़ोजी-ला सुरंग 14 किलोमीटर लंबी सुरंग—लेह, कारगिल और श्रीनगर को जोड़ेगी

2 सड़क चौड़ीकरण 1,600 किलोमीटर से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण या नया निर्माण

3 सौर-पवन मेगाप्रोजेक्ट 48,000 एकड़ चरागाह भूमि पर 13 गीगावॉट परियोजना

**4 नया हवाई अड्डा (लेह) 20 लाख पर्यटकों की क्षमता—लद्दाख की जनसंख्या से तीन गुना अधिक**

### 4.3 भूस्खलन और पारिस्थितिकीय क्षति

इन परियोजनाओं के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हुए हैं:

1. ज़ोजी-ला सुरंग से अपशिष्ट: निर्माण से निकले 17,345 मिलियन टन चट्टान, मिट्टी और गाद को झेलम नदी में डाला गया। इससे नदी की धारा और आसपास के पारिस्थितिकीय तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

2. बढ़ते भूस्खलन: विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन परियोजनाओं से भूस्खलन में खतरनाक वृद्धि हुई है। विशेषज्ञ बताते हैं: "पिछली आपदाएँ चेतावनी के रूप में काम करती हैं"—जैसे 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़, 2023 में जोशीमठ में आई तबाही, और 2023 में सिलक्यारा सुरंग का ढहना।

3. कॉपी-पेस्ट विकास मॉडल: डॉ. गीतांजलि अंगमो ने बताया कि मैदानी क्षेत्रों से आयातित "कॉपी-पेस्ट" विकास मॉडल लद्दाख के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए:

- बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए तटबंध भारी बारिश में ढह गए और विनाश को और बढ़ा दिया
- लद्दाख में पानी तीव्र ढलान से बहता है, इसलिए मैदानी इलाकों की तकनीकें यहाँ विफल होती हैं

4. पारंपरिक जल प्रणालियों का विनाश: NGT ने गंभीर चिंता व्यक्त की कि अनियोजित सड़क निर्माण के कारण पारंपरिक जल निकासी प्रणालियाँ (जो सदियों से काम कर रही थीं) नष्ट हो रही हैं, जिससे बाढ़ और जल संकट और गंभीर हो रहा है।

### 4.4 स्थानीय विकल्प

डॉ. अंगमो ने स्थानीय रूप से विकसित समाधानों की सिफारिश की:

- कृत्रिम हिमनद (Artificial Glaciers) —जैसे सोनाम वांगचुक द्वारा विकसित "आइस स्तूपा"
- घाटी वृक्षारोपण
- सौर-निष्क्रिय भवन—जो पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान का मिश्रण हैं
- पारंपरिक जल निकासी चैनलों का पुनरुद्धार

## 5. सोनाम वांगचुक का आंदोलन: पहाड़ों को बचाने का संघर्ष

### 5.1 पृष्ठभूमि

सोनाम वांगचुक को 2018 में रामोन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने "आइस स्तूपा" (कृत्रिम हिमनद) का आविष्कार किया, जो पिघलते हिमनदों के पानी को रोककर गर्मियों में सिंचाई के लिए संग्रहीत करता है। उनका SECMOL संस्थान पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला हरित परिसर था।

### 5.2 आंदोलन की शुरुआत और उद्देश्य

अगस्त 2019 में लद्दाख का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद, वांगचुक ने चिंता जताई कि बिना संवैधानिक सुरक्षा के लद्दाख "औद्योगिक खनन लॉबी" के सामने असुरक्षित हो जाएगा। उनका मुख्य उद्देश्य पहाड़ों, हिमनदों, चरागाहों और पारंपरिक जीवन-शैली को उस विकास से बचाना था जो उन्हें नष्ट करना चाहता है।

उनकी प्रमुख माँगें थीं:

1. लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा—ताकि स्थानीय लोगों का विकास पर नियंत्रण हो

2. संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल किया जाना—जो स्वायत्त जिला परिषदों को भूमि, संसाधनों और विकास परियोजनाओं को प्रबंधित करने का अधिकार देती है

3. स्थानीय रोज़गार के लिए सुरक्षा उपाय

4. पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित विकास पर रोक

### 5.3 विकास मॉडल की आलोचना

वांगचुक का तर्क है कि लद्दाख में बिना सोचे-समझे बड़े पैमाने पर सड़कों, सुरंगों और सौर परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है: "इन परियोजनाओं के लिए जोखिम आकलन और सुरक्षा उपायों में उचित परिश्रम की कमी है... हम अपनी पहचान, अपनी भूमि और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं।" पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने भी निष्कर्ष निकाला कि: "लद्दाख में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की भरमार ने इसकी वहन क्षमता (carrying capacity) पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।"

### 5.4 डॉ. गीतांजलि अंगमो का दृष्टिकोण

डॉ. गीतांजलि अंगमो (सामाजिक उद्यमिता विशेषज्ञ) के अनुसार:

"सोनाम स्थानीय ज्ञान, पारिस्थितिकीय संतुलन और सामुदायिक कल्याण को प्राथमिकता देने वाले विकास के पक्षधर हैं। वे पहाड़ों, हिमनदों और चरागाहों को बचाना चाहते हैं—जो लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और भौतिक अस्तित्व दोनों हैं।"

उन्होंने यह भी कहा: "असहमति को चेतना का विस्तार करना चाहिए, अपराधीकृत नहीं किया जाना चाहिए।"

## 6. अन्य पर्यावरणीय आंदोलन

### 6.1 प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन

भारत में पर्यावरणीय न्याय के लिए कई ग्रासरूट आंदोलन चल रहे हैं: आंदोलन स्थान संघर्ष चिपको आंदोलन उत्तराखंड वनों की कटाई के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन (1973) नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश/गुजरात बांध निर्माण के खिलाफ विस्थापन-विरोधी आंदोलन नियमगिरि ओडिशा डोंगरिया कोंध जनजाति ने बॉक्साइट खनन को रोका हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ आदिवासी कोयला खनन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं पाथालगाड़ी आंदोलन झारखंड संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर विस्थापन का विरोध तेस्ता नदी सिक्किम लेप्चा समुदाय नदी को बचाने के लिए जुटा

### 6.2 केबीआर नेशनल पार्क (हैदराबाद)

मई 2026 में, 5 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को कासु ब्रह्मानंद रेड्डी (KBR) नेशनल पार्क के पास पेड़ों की कटाई के खिलाफ विरोध करने पर गिरफ्तार किया गया। उन पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं—गलत अवरोध, संपत्ति को नुकसान, और आपराधिक धमकी—के तहत FIR दर्ज की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लिया और तेलंगाना के DGP और हैदराबाद के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट माँगी।

## 7. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की भूमिका और चुनौतियाँ

### 7.1 NGT की स्थापना और उपलब्धियाँ

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को 2010 में पर्यावरणीय मामलों के त्वरित निपटारे के लिए स्थापित किया गया था। 2010-2021 के बीच NGT ने 35,963 में से 33,619 मामलों का निपटारा किया।

### 7.2 NGT की चुनौतियाँ

हालाँकि, NGT की कई चुनौतियाँ हैं:

- कोई प्रवर्तन तंत्र नहीं है—आदेश ज़मीन पर लागू नहीं होते
- विभिन्न एजेंसियों (केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय) के बीच समन्वय का अभाव
- तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, जिससे मामलों में देरी होती है
- NGT के पास न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की कमी

यह स्थिति "न्यायिक हरित-धुलाई" (Judicial Greenwashing) पैदा करती है—कानून हरित दिखता है, लेकिन पारिस्थितिक प्रभाव व्यवहार में अनुपस्थित रहता है।

## 8. महिलाओं पर असमान बोझ: दैनिक जीवन का संघर्ष

### 8.1 दैनिक जीवन में संघर्ष

- भारत की महिलाएं, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी महिलाएं, पर्यावरणीय क्षति का सबसे अधिक बोझ वहन करती हैं:
- जल संकट: ओडिशा के सुंदरगढ़ ज़िले में रहने वाली सुशीला जैसी महिलाएं आधा किलोमीटर पानी लाने के लिए चलती हैं—कोयला-भरे ट्रक दिन-रात चलते हैं, और वह अपनी साड़ी का उपयोग कोयले की धूल से अपना चेहरा बचाने के लिए करती हैं
- ईंधन और चारा: वनों की कटाई से ईंधन की लकड़ी और चारे की कमी
- खाद्य असुरक्षा: 62% परिवार खाद्य असुरक्षा का सामना करते हैं
- विस्थापन: जब पुरुष रोज़गार की तलाश में पलायन करते हैं, तो महिलाओं पर देखभाल, खेती, घरेलू ऋण प्रबंधन का पूरा बोझ आ जाता है

### 8.2 SEWA का अध्ययन

सेल्फ-एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन (SEWA) के अध्ययन से चौंकाने वाले आँकड़े सामने आए: मापदंड प्रतिशत आजीविका में नुकसान 90% से अधिक बच्चों की शिक्षा बाधित 74% जल असुरक्षा 80% खाद्य असुरक्षा 62% मानसी शाह (SEWA की वरिष्ठ समन्वयक) ने एक ग्रामीण महिला की कहानी साझा की: "एक छोटी किसान महिला, जब लंबी गर्मी की लहर ने उसके खेत को सुखा दिया, तो उसके पास कोई बचत नहीं थी। वह स्थानीय साहूकार के पास गई... शर्तें क्रूर थीं: सूदखोरी और यौन अनुग्रह की माँग। 'उसे अपने बच्चे की भूख और अपनी गरिमा के बीच चयन करना था—यह कोई भी महिला नहीं चुनना चाहती, लेकिन जलवायु परिवर्तन हर दिन यह मजबूर कर रहा है।'"

### 8.3 विद्वानों के दृष्टिकोण

सीमा अरोरा-जोंसन, काव्या माइकल और मनीष कुमार श्रीवास्तव (Just Transitions: Gender and Power in India's Climate Politics, 2024) के अनुसार: "भारत की जलवायु नीति लिंग समानता से अलग रही है। विकास नियोजन में लैंगिक समानता की प्रगति के बावजूद, यह समझ जलवायु नीति के प्रशासनिक और विश्लेषणात्मक ढांचे में प्रवेश नहीं कर पाई है।"

मुनीर अहमद मैगरी (झारखंड में NTFP मूल्य श्रृंखलाओं पर शोध) के अनुसार:

- 60-70% NTFP कार्यबल महिलाएं हैं
- वे आदिवासी महिलाओं के वन श्रम को "पारिस्थितिकीय देखभाल और प्रतिरोध" के रूप में देखते हैं

- बाज़ार, शासन और जलवायु नीतियाँ लैंगिक बहिष्कार को आकार देती हैं

## 9. निष्कर्ष

भारत में पर्यावरणीय न्याय एक गहरा असमानता-भरा क्षेत्र है, जहाँ: चुनौती विवरण राजनीति विकास के नाम पर पर्यावरणीय सुरक्षा को कमज़ोर करती है—पूर्व-स्वीकृति मंज़ूरी की बहाली और अरावली में खनन की अनुमति इसके उदाहरण हैं न्ययपालिका अपने फैसलों में अनिश्चितता दिखाती है—एक ओर मई 2025 में पूर्व-स्वीकृति पर रोक, तो नवंबर 2025 में उसे बहाल करना औद्योगिक परियोजनाएँ जैसे पीएफएएस कारखाना—बिना उचित नियमन के स्थापित हो जाती हैं लद्दाख बड़े पैमाने पर सड़कों, सुरंगों और सौर परियोजनाओं से भूस्खलन, जल प्रदूषण और पारिस्थितिकीय क्षति बढ़ी है पर्यावरण कार्यकर्ता केबीआर विरोध प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जाता है महिलाएं इस अन्याय का सबसे अधिक बोझ अपने दैनिक जीवन में उठाती हैं मुकुल शर्मा के अनुसार, जाति-अंध पर्यावरणवाद अपूर्ण है; दलित और अन्य हाशिए की आवाज़ों को शामिल किए बिना पर्यावरणीय न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। आवश्यकता है कि "न्यायसंगत संक्रमण" (Just Transition) न केवल कार्बन-मुक्ति पर केंद्रित हो, बल्कि लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, अंतर्विभागीयता और सामुदायिक भागीदारी को अपने केंद्र में रखे। डॉ. गीतांजलि अंगमो के शब्दों में:

"असहमति को चेतना का विस्तार करना चाहिए, अपराधीकृत नहीं किया जाना चाहिए।" सोनाम वांगचुक का आंदोलन—जो पहाड़ों, हिमनदों, चरागाहों और पारंपरिक जीवन-शैली को बचाने के लिए है—यह दिखाता है कि पर्यावरणीय न्याय केवल कानूनी या नीतिगत मुद्दा नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, अस्तित्व और भावी पीढ़ियों के लिए संघर्ष है।

## 10. संदर्भ (References)

1. Angmo, G. (2026). Mathrubhumi International Festival of Literature 2026. London Review of Books (2026, January). "Free Sonam Wangchuk." (Cited for Ladakh development critique, Zoji-la tunnel, Sixth Schedule demand, dissent)

2. Arora-Jonsson, S., Michael, K., & Shrivastava, M. K. (Eds.). (2024). Just Transitions: Gender and Power in India's Climate Politics. (Cited for gender and climate policy analysis)

3. Chatterjee, P. (2025). "Clean Air as Privilege." (Cited for air pollution inequality and caste system of air)

4. Dahiya, S. (2025). Air Quality Expert. (Cited for electoral politics and pollution)

5. Guardian Investigation. (2025-2026). "Indians protest over 'forever chemicals' after relocation of scandal-hit Italian factory." The Guardian. (Cited for PFAS factory relocation)

6. Maigari, M. A. (2025). Feminist Political Ecology Research on NTFP in Jharkhand. (Cited for women's forest labour)

7. Mustafa, F., & Dwivedi, A. (2025). "Judicial Greenwashing and Unequal Privileges." (Cited for corporate influence in environmental governance and Aravalli mining)

8. Pandya, V. A. (2025). "Strengthening Rule of Law for the Environment: The NGT's Impact under Article 21 and SDG 16." International Journal of Law Management and Humanities, 8(3), 946-953. (Cited for NGT achievements and challenges)

9. Press Information Bureau. (2026, May 20). "NHRC takes suo motu cognizance of arbitrary arrest of five environmental activists protesting against tree-felling near KBR National Park, Hyderabad." (Cited for KBR arrests)

10. SEWA (Self-Employed Women's Association). (2025). Climate Impact Study on Women. (Cited for women's climate vulnerability)

11. Shah, M. (2025). SEWA Senior Coordinator. (Cited for women's lived experiences)

12. Sharma, M. (2024). Dalit Ecologies: Caste and Environmental Justice. Cambridge University Press. (Cited for Dalit perspective on environmental justice)

13. Sukhraj, V. (2025-2026). Activist and Writer. (Cited for PFAS factory critique)

14. Supreme Court of India. (2025, May 16). Judgment striking down post-facto environmental clearances. (Cited for legal ruling)

15. Supreme Court of India. (2025, November 18). 2:1 majority judgment allowing post-facto environmental clearances. Mongabay-India. (Cited for reversal of ruling)

16. The New Indian Express. (2025, December 28). "Retired bureaucrats raise concerns over SC orders allowing ex post facto clearances, Aravalli mining." (Cited for Aravalli concerns)

17. ToppersNotes/UPSC Current Affairs. (2025). "A battle to save Ladakh, and all of humanity." (Cited for infrastructure projects, past Himalayan disasters, NGT action, carrying capacity)

18. Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. (2026). Report on Ladakh's development and carrying capacity. (Cited for ecological concerns)